प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 6490/2005

याचिकाकर्ता : 1. मरुथवनन, पिता गोविंदन चेट्टियार, आयु 47 वर्ष, निवासी–नेदुवसाल, तालुका–अलंगुडी, जिला पडुकोट्टई, तमिलनाडु।

वर्तमान निवास–राम गोपाल तिवारी, वार्ड मुंगेली, तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ०ग०)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) छ०ग० राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर(छ०ग०)
2) कलेक्टर, बिलासपुर (छ०ग०)
3) पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर(छ०ग०)
4) थाना अधिकारी, थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री प्रवीण दास, अधिवक्ता ।

: उत्तरवादीगण के लिए श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 25 जनवरी, 2006 को पारित)

याचिकाकर्ता का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है :

याचिकाकर्ता तमिलनाडु राज्य का निवासी है। वह अपनी आजीविका अर्जन के लिए लगभग 9–10 महीने पहले छत्तीसगढ़ राज्य आया था। उसने मुंगेली शहर में किराए का मकान लिया और 'श्री साई निगम' के नाम से एक दुकान स्थापित की और उसका उन्नतिशील व्यवसाय दूसरों की दृष्टि में किरकिरी बन गया। प्रतिद्वंद्वी

व्यापारियों ने उत्तरवादी क्र. 4, जो कि पुलिस थाना, मुंगेली का थाना प्रभारी है, के साथ मिलकर याचिकाकर्ता के दुकान में रखे सामान को लूटने के लिए स्थानीय लोगों के साथ सांठगांठ की। चतुर्थ उत्तरवादी –पुलिस अधिकारी ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने और याचिकाकर्ता के व्यक्ति और संपत्ति की रक्षा करने के बजाय और विधिक अधिकार के बिना याचिकाकर्ता को दुकान बंद करने और उसके दरवाजे पर ताला लगाने के लिए विवश किया। उपरोक्त आरोप के साथ, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादियों को विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी वैध व्यावसायिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की ईप्सा की है और यह भी घोषित करने की मांग की है कि चतुर्थ उत्तरवादी की कार्रवाई मनमानी, अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) नोटिस के जवाब में, श्री जी प्रमोद नायडू , थाना प्रभारी , पुलिस थाना मुंगेली ने दिनांक 20–01–2006 को अपना शपथ पत्र दायर किया है। उक्त शपथपत्र में कथन किया गया है कि दिनांक 26–11–2005 को मुंगेली कस्बे के कुछ निवासियों ने उन्हें सूचना दी कि याचिकाकर्ता, उसके कर्मचारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों के बीच कुछ हाथापाई चल रही है, लोग याचिकाकर्ता द्वारा दुकान में रखे गए बिस्तर, कुर्सियां, मिक्सी और अन्य सामान को ले जाने का प्रयास कर रहें है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारी उनके पैसे वापस किए बिना ही वहां से भाग जाएंगे। यह सूचना मिलने पर उप निरीक्षक डी. सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल को घटना स्थल पर भेजा गया था, परंतु उन्होंने पाया कि बदमाश जो भी सामग्री ले जा सकते थे, अपने साथ लेकर घटनास्थल से जा चुके थे। कंडिका 6 में इस प्रकार कथन किया जाने के बाद, कंडिका 7 में उत्तरवादी ने आगे कथन किया है कि

याचिकाकर्ता की दुकान की रक्षा करने वाला कोई नहीं था और इस सद्भाविक मंशा के साथ कि दुकान में शेष सामग्री को उपद्रवियों द्वारा चोरी से या छीनने से बचाने के उप निरीक्षक डी. सिंह ने दुकान के दरवाजे पर ताला लगा दिया।

(3) शपथपत्र में किए गए अन्य प्रकथनों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अन्य अभिकथनों से प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अब तक कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, जब इस रिट याचिका पर पहले सुनवाई हुई थी, तो चतुर्थ उत्तरवादी, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित था, ने न्यायालय को बताया था कि उसे याचिकाकर्ता की दुकान के दरवाजे पर उपनिरीक्षक डी. सिंह द्वारा लगाए गए ताले की चाबी सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है और वास्तव में वह चाबी याचिकाकर्ता को सौंपना चाहता था, परंतु याचिकाकर्ता ने उससे संपर्क नहीं किया। चतुर्थ उत्तरवादी द्वारा किए गए इस दावे को याचिकाकर्ता, जो भी उस समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित था, द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था। प्रकरण के उस दृष्टिकोण में, न्यायालय ने मौखिक रूप से चतुर्थ उत्तरवादी को न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता को चाबी सौंपने का निर्देश दिया था। तदनुसार, आज सुनवाई के समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित चतुर्थ उत्तरवादी ने उप निरीक्षक डी. सिंह द्वारा लगाए गए ताला की चाबी सौंप दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) हम लोकतंत्र में और विधि के शासन के अधीन रहते हैं। किसी भी लोक अधिकारी को किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विधिक अनुदत्त विधिक स्वीकृति और अधिकार होना चाहिए और ऐसे अधिकार के बिना, यदि वह किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसा प्रयोग स्वयं अवैध और विधि के शासन का अधिकारातीत होगा। जब यह स्वीकार किया गया प्रकरण है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी विधि के उल्लंघन या अपराध के लिए कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है, तो मैं यह समझने में

असमर्थ हूं कि चतुर्थ उत्तरवादी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ता, जिसकी इस देश के नागरिक के रूप में स्थिति का मेरे समक्ष विरोध नहीं किया गया है, के व्यवसाय में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। दूसरी ओर, चतुर्थ उत्तरवादी के शपथपत्र में किए गए कथन से ही दर्शित होता है कि इलाके में उपद्रवियों ने गिरोह बनाया, याचिकाकर्ता द्वारा उसकी दुकान में रखे गए सामान को लूट लिया और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लुटेरों की इस तरह की कार्रवाई से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है कि वे अपराध में लिप्त थे, जो एक संज्ञेय अपराध है। यदि ऐसा है तो स्थानीय पुलिस पर यह दायित्व अधिरोपित था कि वह याचिकाकर्ता के व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा के लिए विधि अनुसार उचित कार्रवाई और कदम उठाए। पुलिस अपने कर्तव्य में विफल रही है। चतुर्थ उत्तरवादी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा याचिकाकर्ता के लोगों और संपत्ति की सुरक्षा करने में विफलता एक गंभीर मामला है जिस पर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में मुझे इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि चतुर्थ उत्तरवादी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विधिक प्राधिकार और वारंट के बिना याचिकाकर्ता की वैध व्यावसायिक गतिविधि में हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं कर सकता है। मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं चतुर्थ उत्तरवादी को विधिक अधिकार और निष्पक्ष प्रक्रिया के बिना विषयगत दुकान में याचिकाकर्ता के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देते हुए इस रिट याचिका का निराकरण करता हूं। इस आदेश की एक प्रति शासन के सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर और पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को उनकी जानकारी और मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाए। तदनुसार रिट याचिका का निराकरण किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

ब्रजेश

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur